**संख्या-54/2015/3314/60-2-15-2/3(2)/08**

प्रेषक,

**अरूण कुमार मिश्र**
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2015

**विषय : आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड के अन्तर्गत दी जाने वाली रेसिपी पर आने वाले अनुमानित व्यय का अग्रिम आहरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-672/बा.वि.परि./लेखा/2015-16, दिनांक 25.09.2015, पत्र संख्या-830/बा.वि.परि./लेखा/2015-16, दिनांक 30.10.2015 एवं पत्र संख्या 925/बा.वि.परि./लेखा/2015-16, दिनांक 21.11.2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश की समस्त जनपदों की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में हाट कुक्ड फूड दिये जाने हेतु रूपये 57,38,55,800/- प्रतिमाह की दर से 02 माह (माह जून, 2015 व जुलाई, 2015) के लिए कुल रूपये 1,14,77,11,600/- (रूपये एक अरब चौदह करोड़ सतहत्तर लाख ग्यारह हजार छः सौ मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 21.05.2015 एवं माह सितम्बर, 2015 हेतु रूपये 57,14,49,463/- (रूपये सत्तावन करोड़ चौदह लाख उनचास हजार चार सौ तिरसठ मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 26.08.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की समस्त जनपदों की 894 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड दिये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार माह दिसम्बर, 2015 हेतु रूपये 57,08,28,433/- (रूपये सत्तावन करोड़ आठ लाख अटठाइस हजार चार सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने एवं इस प्रयोजन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खाते में अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) समस्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(4) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) एक अग्रिम के उपरान्त, दूसरा अग्रिम तभी आहरित किया जायेगा, जब पूर्व अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित कर लिया गया हो।

(6) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(7) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(8) प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन की ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में जो निर्देश जारी किये गये हैं, उसी के अनुरूप निर्देश निर्गत करने का प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजा जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ.ए.-1-379/दस-2015, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

**(अरूण कुमार मिश्र)**
विशेष सचिव

**संख्या-54/2015/3314(1)/60-2-15, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1।
4. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
5. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(अरूण कुमार मिश्र)**
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।